

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी, फतेहपुर।

पत्रांक 2075/स्पीड/अधिसूचना/स0सु0/2020

दिनांक - 24.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के मोटरयान रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी, को नगरीय निकायों को अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये फतेहपुर जनपद होकर संचालित वाहनों को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के मार्गों के या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबन्धित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू कीलर/थ्री कीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4.5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	मोगनीपुर घाटमपुर चौडगरा मार्ग 28.02 कि०मी०	फतेहपुर से जहानाबाद	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
2	फतेहपुर, बबेरु अतर्रा नरैनी करतल मार्ग 24.04 कि०मी०	फतेहपुर से अयाह शाह	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
3	पुखराया, घाटमपुर, बिन्दकी मार्ग 13.32 कि०मी०	फतेहपुर से बिन्दकी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
4	शिवराजपुर, बिन्दकी, ललौली मार्ग 39.01 कि०मी०	फतेहपुर से बिन्दकी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
5	जहानाबाद, अमौली, चांदपुर, जाफरगंज, जोनिहा मार्ग 42.08 कि०मी०	फतेहपुर से जहानाबाद	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
6	बिन्दकी फतेहपुर मार्ग 17.02 कि०मी०	फतेहपुर से बिन्दकी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
7	कुंवरपुर मलवा, कुटिया, रावतपुर, मार्ग 14.06 कि०मी०	फतेहपुर से बिन्दकी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
8	बहुआ गाजीपुर मार्ग 13.30 कि०मी०	फतेहपुर से अयाह शाह	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
9	बहराईच बांदा मार्ग 13.00 कि०मी०	फतेहपुर से अयाह शाह	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
10	सठिगवा चांदपुर, लहुरी मार्ग 18.65 कि०मी०	फतेहपुर से जहानाबाद मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
11	फतेहपुर शाखा नहर की पटरी मार्ग 20.80 कि०मी०	फतेहपुर से जहानाबाद मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
12	अमौली गंगूपुर रेलवेफाटक,	फतेहपुर से	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

[illegible]

	25 कि०मी०	फतेहपुर मार्ग	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा
35	फतेहपुर से मिटौरा मार्ग 12.50 कि०मी०	फतेहपुर से बिन्दकी मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
36	फतेहपुर से डलमऊ मार्ग 12.40 कि०मी०	फतेहपुर से हुसेनगंज मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा -

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट सादर बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा दस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1988 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा -
अ) अग्नि शमन वाहन
ब) एम्बुलेन्स।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-122 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 137, दिनांक 06.04.2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार त्रिवेदी)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
फतेहपुर।

पृ०स०- /अधि०/स०सु०/2020 समदिनांकित -

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), कानपुर।
6. संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रयागराज।
7. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, सरोजनी नायडू मार्ग-प्रयागराज/ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के आगामी प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विभिन्न गति के बोर्ड लगाने का कष्ट करें।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त बिहार नौबस्ता कानपुर/गोमती, लखनऊ, उ०प्र०।
10. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/जिला पंचायत/नगर पंचायत।
11. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर।
12. ब्यूरो प्रमुख, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ कि अपने सम्मानित समाचार पत्र में जनहित निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

22/6/20
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
फतेहपुर।